25

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(2020-21)

(सत्रहवीं लोक सभा)

अलपसंख्यक कार्य मंत्रालय

[अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2021-22)' पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के बाईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

पचीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

अगस्त, 2021/श्रावण, 1943 (शक)

पचीसवां प्रतिवेदन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(2020-21)

(सत्रहवीं लोक सभा)

अलपसंख्यक कार्य मंत्रालय

[अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2021-22)' पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के बाईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

06.08201 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया

06.08.2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

अगस्त, 2021/श्रावण, 1943 (शक)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

समिति की संरचना (iv)

प्राक्कथन (vi)

अध्याय एक	प्रतिवेदन	1
अध्याय दो	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है	15
अध्याय तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती	18
अध्याय चार	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है	21
अध्याय पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के है...................................	22

अनुबंध

सामाजिक न्याय संबंधी स्थायी समिति की 05.08.2021 को तेरहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश। 30

परिशिष्ट

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें -2021) '(22 पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी (समिति सत्रहवीं लोक सभा) के बाईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण। 31

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की संरचना

श्रीमती रमा देवी – सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती संगीता आजाद
3. श्री भोलानाथ 'बी. पी. सरोज'
4. श्रीमती प्रमिला बिसाई
5. श्री थॉमस चाजिकाडन
6. श्री छतर सिंह दरबार
7. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
8. श्रीमती मेनका संजय गांधी
9. श्री हंस राज हंस
10. श्री अब्दुल खालेक
11. श्रीमती रंजीता कोली
12. श्रीमती गीता कोडा
13. श्री विजय कुमार
14. श्री अक्षयवर लाल
15. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद
16. श्री अर्जुन सिंह
17. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
18. श्री के. षणमुग सुंदरम
19. श्रीमती रेखा अरुण वर्मा
20. श्री तोखेहो येपथोमी
21. रिक्त#

राज्य सभा

22. श्रीमती झरना दास बैद्य
23. श्रीमती रमिलाबेन बारा
24. श्री अबीर रंजन बिस्वास
25. श्री एन. चंद्रशेखरन
26. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा*
27. श्रीमती ममता मोहंता
28. श्री नारायण कोरागप्पा*
29. श्री राम नाथ ठाकुर
30. श्री रामकुमार वर्मा
31. श्री रामजी*

---

* 23.12.2020 से समिति के लिए नामनिर्देशित

\# श्री पशुपति कुमार पारस, केंद्र में मंत्री नियुक्त होने के उपरांत 07.07.21 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

सचिवालय

1. श्रीमती अनीता बी .पांडा - संयुक्त सचिव
2. श्रीमती ममता केमवाल - निदेशक
3. श्री कृषेन्द्र कुमार - उप सचिव
4. श्रीमती शशि बिष्ट - सहायक कार्यकारी अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2021-22)' पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के बाईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी यह पचीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ।

2. बाईसवां प्रतिवदेन 16 मार्च, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और उसी दिन इसे राज्य सभा के पटल पर भी रखा गया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 1st जून 2021 को उस प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले अपने उत्तर प्रस्तुत किए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने 05 अगस्त, 2021 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और स्वीकार किया।

3. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के बाईस्वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट में दिया गया है।

4. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को इस प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;

05 अगस्त, 2021
13 श्रावण, 1943 (शक)

रमा देवी,
सभापति,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

अध्याय-एक

प्रतिवेदन

1.1 सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति की यह रिपोर्ट अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2021-22 पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोकसभा) के बाईस्वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

1.2 बाईस्वें प्रतिवेदन को 16.03.2021 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और राज्यसभा के सभापटल पर रखा गया । प्रतिवेदन में पांच टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं। सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार के उत्तरों की जांच की गई है और उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:

(i) टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है :

पैरा संख्या - .5**7** और6.12

(कुल: 2, अध्याय- दो)

(ii) टिप्पणियांसिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए / आगे कार्रवाईनहीं करना चाहती:

पैरा संख्या - 4.11

(कुल: 1, अध्याय- तीन)

(iii) टिप्पणियांसिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार/ के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:

पैरा संख्या - शून्य

(कुल: शून्य, अध्याय-चार)

(iv) टिप्पणियां सिफारिशें/जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं :

पैरा संख्या - 2.10 और 3.11

(कुल: **2**, अध्याय- पांच)

1.3 समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और इस प्रतिवेदन के अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में की गई अंतिम कार्रवाई नोट पर कार्रवाई उन्हें जल्द से जल्द प्रस्तुत की जाए और किसी भी मामले में इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के तीन माह के भीतर प्रस्तुत की जाये।

1.4 समिति अब सरकार से प्राप्त उत्तरों के संबंध में कार्यवाही करेगी जिनके संबंध में टिप्पणियां किया जाना आवश्यक है ।

क. छात्रवृत्ति घटक के तहत बजटीय प्रावधान और उपयोगिता

सिफारिश (क्रम संख्या 1,पैरा 2.10)

1.5 समिति ने अपने बाईस्वें प्रतिवेदन में निम्नानुसार सिफारिश की थी:-

"समिति को यह बताते हुए आश्चर्य हो रहा है कि मंत्रालय अपने बजटीय आवंटन को 2020-21 के दौरान पूरी तरह से व्यय करने में सक्षम नहीं था, जबकि छात्रवृत्ति घटक में व्यय कम होने के कारण आरई चरण पर इसे 1000 करोड़ रुपए से अधिक घटाकर 5029.00 करोड़ रुपए से 4005.00 करोड़ रुपए किया गया था। यह इसलिए हुआ क्योंकि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश पुन: सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सके। हालांकि समिति को सूचित किया गया था कि उक्त कटौती छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए नहीं थी, बल्कि मंत्रालय की अन्य योजनाओं के लिए थी, फिर भी ऐसा लगता है कि समान छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू करने वाले अन्य मंत्रालयों की तुलना में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आवंटित धन का उपयोग करने में पीछे रहा है। यह निश्चित रूप से कुछ आत्मनिरीक्षण की मांग करता है। हालांकि मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि वे वित्तीय वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के दौरान अपने आवंटन का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम होंगे, समिति को इस बात को लेकर कुछ संदेह है क्योंकि पिछले वर्षों के रुझान इंगित करते हैं कि पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को छोड़कर मंत्रालय के पास हमेशा दो अन्य योजनाओं के लिए वर्ष के अंत में धनराशि शेष थी। समिति यह समझने में असमर्थ है कि मंत्रालय इन योजनाओं के उद्देश्यों को कैसे पूरा करेगा जब तक कि सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुन: सत्यापन की अपनी प्रक्रिया को बहुत कम समय में पूरा नहीं कर लेते हैं, जो कि सभी संभाव्यता में होने की संभावना नहीं है। हालांकि मंत्रालय ने पिछले वर्षों में लक्ष्य से अधिक लाभार्थियों की

वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी प्रस्तुत की है, 2020-21 के लिए सूचना शून्य है। इसलिए समिति कार्रवाई की गई अवस्था में स्थिति से अवगत होना चाहेगी। 2020-21 में 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, अगले 5 वर्षों के लिए सभी योजनाओं की समीक्षा किए जाने की संभावना है, इसलिए समिति सिफारिश करती है कि वर्ष 2021-22 के लिए मंत्रालय की मासिक/त्रैमासिक व्यय योजना को भी सख्ती से निष्पादित किया जाना चाहिए ताकि वे आरई चरण पर भी अपनी योजनाओं को सही ठहराने और निधि की सही आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हो।"

1.6 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई के उत्तर में निम्नानुसार बताया:-

बजट अनुमान 2020-21 को संशोधित अनुमान 2020-21 चरण पर 5029 करोड़ रुपए से घटा कर 4005 करोड़ रुपए कर दिया गया था। संयुक्त प्रयासों और सर्वोच्च स्तर पर निरंतर निगरानी से मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अधीन 2020-21 के दौरान 3998.57 करोड़ रुपए की राशि अर्थात् 4005 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान का 99.84**%** बुक किया गया।

2020-21 में 3 छात्रवृत्ति योजनाओं अर्थात् मैट्रिक-पूर्व**,** मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए मंत्रालय ने कुल 2234.74 करोड़ रुपए अर्थात् आबंटित बजट 2265.00 करोड़ रुपए का 98.66% व्यय बुक किया है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए योजना-वार व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

योजना	**बीई (करोड़ रू. में)**	**आरई (करोड़ रू.**	**व्यय (करोड़ रू. में)**
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना	1330.00	1330.00	1325.55
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	535.00	535.00	512.81
मेरिट सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना	400.00	400.00	396.34
कुल	**2265.00**	**2265.00**	**2234.70**

यह भी उल्लेख किया जाता है कि तीनों छात्रवृत्तियों में से प्रत्येक में नई श्रेणी के अधीन छात्रवृत्तियों की संख्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और समुदाय-वार कोटे के

अनुसार निश्चित होती है। हालांकि, नवीकरण छात्रवृत्तियों के लिए कोई कोटा नहीं होता है और सभी पात्र लाभार्थी उनके आवेदनों की जांच के अध्ययनधीन नवीकरण छात्रवृत्ति के लिए हकदार हैं। जहां तक वास्तविक लक्ष्य का संबंध है, कोविड महामारी से उत्पन्न रूकावटों के बावजूद 'नई' श्रेणी के अधीन लक्ष्य काफी हद तक प्राप्त कर लिए गए हैं और इन योजनाओं की 'नवीकरण' श्रेणी के अधीन अधिकतम पात्र और वास्तविक आवेदकों को भी कवर किया गया है। शेष आवेदक जिनके आवेदनों की जांच की जा चुकी है और जो 'नई' श्रेणी के अधीन मेरिट सूची में हैं लेकिन तकनीकी कारणों जैसे कि भुगतान विफलता, बैंक वैधीकरण में देरी या राज्यों द्वारा भुगतान फाइलों पर डिजीटल रूप से हस्ताक्षर करने में देरी के कारण से भुगतान नहीं किया जा सका, उन्हें सुधार/राज्यों द्वारा भुगतान फाइलों पर हस्ताक्षर के बाद अगले शैक्षिक वर्ष अर्थात् 2021-22 की प्रथम तिमाही में भुगतान कर दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2020-21 में कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या का योजना-वार विवरण निम्नानुसार है:-

योजना	**लक्ष्य (नई)**	**लक्ष्य (नई)**	***कुल स्वीकृत छात्रवृत्तियां (31.03.2021 के अनुसार)**
मैट्रिक-पूर्व	3000004	1330.00	5046292
मैट्रिकोत्तर	499999	535.00	648133
मेरिट सह-साधन	60000	400.00	117614
कुल	**3560000**	**2265.00**	**5812039**

*नवीकरण शामिल हैं।

1.7 मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना संघटक में पिछले वर्ष के दौरान सं. अ. स्तर पर 1000 करोड़ रुपए की कमी के बावजूद व्यय की धीमी गति और परिणामस्वरुप बजटीय आबंटन के कम उपयोग को ध्यान में रखते हुए समिति चाहती थी कि उसे 2020-21 के लिए लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के बारे में सूचित किया जाए। अनुदानों की मांगों की जांच के दौरान शून्य की सूचना थी। समिति की-गई-कार्रवाई उत्तर से यह नोट करके प्रसन्न नहीं है कि मंत्रालय ने कथित रूप से लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है क्योंकि यह सूचित किया गया है कि 2020-21 में नई 3560000 छात्रवृत्तियां के लक्ष्य की तुलना में 'नई' और 'नवीकरण' श्रेणियों के अंतर्गत 31.03.2021 के अनुसार स्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या 5812039 है। ऐसे में, मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में बताया है कि 'नई' श्रेणी के अंतर्गत कुछ छात्रवृत्तियों का भुगतान पेमेंट फेल्यर, बैंक विधिमान्यकरण में विलंब अथवा भुगतान संबंधी फाइलों पर डिजिटल रूप में

हस्ताक्षर करने में राज्यों द्वारा विलंब जैसे तकनीकी कारणों से नहीं किया जा सका। मंत्रालय ने वादा किया है कि इन छात्रवृत्तियों का राज्यों द्वारा भुगतान संबंधी फाइलों में सुधार/उन पर हस्ताक्षर के पश्चात् अकादमिक वर्ष अर्थात् 2021-22 की पही तिमाही के भीतर कर दिया जाएगा। चूंकि पहली तिमाही बीत चुकी है तो समिति को आशा है कि इन नए आवेदनों का भुगतान हो चुका है और नवीकरण आवेदनों की समय पर प्रक्रिया कर ली गई है ताकि छात्रवृत्ति राशि का समय पर वितरण हो सके और भुगतान लाभार्थियों की शिक्षा में भुगतान नहीं होने के कारण विघ्न उत्पन्न ना हो।

ख. छात्रवृत्ति योजनाएं

सिफारिश (क्रम संख्या.2, पैरा 3.11)

1.8 समिति ने अपने बाईस्वें प्रतिवेदन में निम्नानुसार सिफारिश की थी:-

"केंद्रीय क्षेत्र की 3 छात्रवृत्ति योजनाएं नामतः मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मैट्रिक-सह-साधन, छह केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। समिति छह राज्यों में निधियों के कथित दुरुपयोग/वंचित अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के अधीन जाली बच्चों को दी जा रही निधियों के बारे में सूचित मामलों से काफी परेशान है, जो जांच/पूछताछ के अधीन हैं। एक राज्य में पूछताछ के बाद यह धोखाधड़ी कतिपय निहित स्वार्थों द्वारा पासवर्ड लीक किए जाने के साथ-साथ अन्य कमियों के कारण हुई बताई गई है। अल्पसंख्यकों में माता-पिता और बच्चों की निरक्षरता और जागरूकता की कमी का लाभ उठाते हुए ऐसे तत्वों द्वारा शोषण भी किया जाता है। जबकि मंत्रालय के प्रतिनिधि सदैव यह दावा करते हैं कि सभी लेन-देन/सत्यापन ऑनलाइन किए जाने, एक समर्पित पोर्टल, डीबीटी माध्यम से नकदी अंतरण और इसी प्रकार के उपायों के कारण जिनकी इस समय निश्चित रूप से जरूरत है, सिस्टम विफलता रहित है, समिति

के लिए यह देखना चिंताजनक है कि भ्रष्टाचार के ऐसे मामले हुए हैं। तथापि, थोड़ा ही हो, इसने वास्तविक बच्चों को सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं से वंचित किया होगा और कुछ बच्चों ने इस कारण स्कूल फीस/अन्य खर्चे वहन करने में असमर्थ होने पर स्कूल से ड्रॉप आउट किया हो। अपने साक्ष्य के दौरान मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने उनके विचाराधीन कुछ और सुरक्षा उपायों के बारे में समिति को सूचित किया, उदाहरण के तौर पर, छात्रवृत्ति-धारी छात्रों की फाइलों को 5 वर्ष के लिए संरक्षित रखना, एमईआईटीवाई के सहयोग से एक आधार वॉल्ट सृजित करना, अध्यापक द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रिपोर्ट पर प्रिंसिपल के हस्ताक्षर की आवश्यकता, कम से कम 2% वास्तविक सत्यापन, स्कूली शिक्षा विभाग की सहायता से छात्र डाटा बैंक का सृजन आदि। जबकि समिति चाहती है कि मंत्रालय सिस्टम में पहचानी गई सभी कमियों को रोके, डाटा और पासवर्ड की निजता को सुदृढ़ करे और सभी मैनुअल हस्तक्षेप कम करें, चाहे यह स्कूल कार्मिक हो, बैंकिंग मध्यस्थ हो, एनजीओ या अप्राधिकृत व्यक्ति हों, समिति का दृढ़ मत है कि मंत्रालय को राज्य सरकारों को यह परामर्श देना चाहिए कि वे लाभार्थी अल्पसंख्यक छात्रों की नमूना संख्या तक सीधे पहुंचने का प्रयास करें ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्हें सरकारी छात्रवृत्तियों के बहाने से ठगा नहीं जा रहा है और यह कि पोर्टल में उनके नाम के सामने यथा अनुमोदित अवधि के लिए हकदार छात्रवृत्ति की पूरी राशि डीबीटी के माध्यम से उन्हें वास्तव में प्राप्त हो रही है। साथ ही, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों के खाते कोई गतिविधि न होने के कारण बंद न हों क्योंकि अल्पसंख्यक छात्र नियमित रूप से लेन-देन नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ मूल्यांकन अध्ययनों ने यह दर्शाया है कि खाते निष्क्रिय/बंद होने के कारण छात्रवृत्ति की राशि वापस आ जाती है। समिति आश्वस्त है कि ऐसे उपाय बड़े सुधार ला सकते हैं और इसलिए सिफारिश करती है कि इस पहलू पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब, चूंकि कोविड-19 टीकाकरण में गति आ रही है, समिति राय देती है कि पूरी क्षमता के साथ स्कूलों के पुनः खुलने और छात्रवृत्तियों के संवितरण के लिए परिणामी औपचारिकताओं और सत्यापनों आदि के काम में चालू वित्त वर्ष के बाद वाले भाग में तेजी आएगी। समिति दोहराती है कि स्कूलों, बैंकों, एनजीओ, वीओ आदि में अनैतिक तत्व, जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रक्रियाओं को बिगाड़ने के रास्ते ढूंढ लेते हैं, द्वारा धोखाधड़ी की गतिविधि अवश्य बंद की जाए। वास्तव में, समिति को ज्ञात हुआ है कि सरकार द्वारा हाल ही में उनकी कार्यप्रणाली में विभिन्न कमियों के कारण लगभग 8000 एनजीओ को सूची से बाहर किया गया है। अतः समिति दोहराती है कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि

एनआईसी के परामर्श से पासवर्ड/कोड में किसी छेड़छाड़/धोखाधड़ी को पकड़ने के लिए छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन पोर्टल में काफी सुरक्षा उपाय/टूल्स होने चाहिए और कदाचार का दोषी पाए गए व्यक्तियों/संगठनों को तत्काल हटा देना चाहिए। समिति चाहती है कि उसे मंत्रालय के प्रयासों में प्रगति के साथ-साथ इस मामले में कुछ राज्यों में इस समय चल रही जांच के परिणाम से अवगत कराया जाए।"

1.9 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई के उत्तर में निम्नानुसार बताया-:

"मंत्रालय ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न कार्य/पहले की है और विभिन्न निवारक उपाय जारी किए हैं जिन्हें राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल एनआईसी के साथ-साथ संस्थान के नोडल अधिकारियों/जिला नोडल अधिकारियों और राज्य नोडल अधिकारियों द्वारा उठाया जाना है। जैसा कि समिति ने चाहा है मंत्रालय द्वारा इस मामले पर किए गए विभिन्न कार्यों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

(क) मंत्रालय द्वारा मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास भेजा गया और उनके द्वारा इस विषय पर 11 नवंबर 2020 को एक प्राथमिक जांच दर्ज की गई है। जांच रिपोर्ट की इस मंत्रालय में प्रतीक्षा है।

(ख) एनएसपी एनआईसी के साथ-साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई कार्रवाइयों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है जो इस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कुछ दिशानिर्देशों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन का उल्लेख करती हैं:

- 12.01.2021 तक सत्यापित सभी आवेदन पुन: सत्यापन के लिए वापस कर दिए गए और ऐसे सभी आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर सफलतापूर्वक पुन: सत्यापन किया गया है।
- एनएसपी ने यू-डीआईएसई/एआईएसएचई से पिछले वर्ष की सूचना और आंकड़े प्रदान किए है जो संस्था नोडल अधिकारी (आईएनओ) और जिला/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नोडल अधिकारियों (डीएनओ/ एनएनओ) द्वारा सत्यापन के लिए संदर्भ सामग्री के रूप में काम आएंगे।
- आवेदकों के नाम के अतिरिक्त जन्म तिथि और लिंग वैधीकरण आधार जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण के माध्यम से किया गया है।
- सभी डीएनओ और 90% से अधिक आईएनओ का पुन: सत्यापन किया गया है।

- संदेहजनक आवेदनों की एनएसपी द्वारा लाल फ्लैग के साथ पहचान की गई ताकि पुन:सत्यापन सुनिश्चित एवं सुविधाजनक किया जा सके।

- मंत्रालय वित्त वर्ष 2020-21 में मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अधीन आधार प्रमाणित आवेदनों की सुविधा के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) और आंकड़ा विश्लेषण उत्कृष्टता केंद्र (सीईडीए) की सेवाएं लेने का पता लगा रहा है।

(ग) सत्यापन प्रक्रिया को कड़ा करने के लिए मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का निम्नलिखित अनुदेश जारी किए गए हैं:

- आईएनओ जिला स्तर पर और अन्य प्राधिकारियों द्वारा किसी भी समय निरीक्षण के लिए आवेदनों और अन्य सहायक दस्तावेजों की कक्षा-वार और शैक्षिक वर्ष-वार हार्ड फाइल बनाकर रखेंगे।

- आईएनओ को स्कूल/संस्थान का कर्मचारी होना चाहिए।

- एसएनओ/ईएनओ संस्थानों और आवेदकों के साथ-साथ सत्याएपित आवेदनों के 2% का अनिवार्य वास्तविक सत्यापन करें और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

- संस्थान का प्रमुख आईएनओ द्वारा सत्यापित आवेदनों की सूची को प्रमाणित करे और एल 2 सत्यापन के लिए इसे डीएनओ/एसएनओ को भेजे। एनएसपी ने संस्थान प्रमुख के लिए एक अलग लॉगिन बनाया है।

- स्कूॉलों/संस्थानों को लाभार्थियों की सूची नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होगी और अंतिम राशि के साथ लाभार्थियों की सूची स्कूल प्रबंधन समिति के समक्ष भी प्रस्तुत करनी होगी और छात्र के हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे।

(घ) पांच राज्यों, जहां जांच चल रही है, द्वारा भेजी गई रिपोर्टों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

- छत्तीसगढ़ राज्य की रिपोर्ट: रिपोर्ट कहती है कि यह पाया गया है कि सभी कथित लाभार्थी वास्तविक है और आश्वस्त करती है कि कोई धोखाधड़ी की घटना नहीं हुई है।

- असम राज्य की रिपोर्ट: सीआईडी के साथ जांच प्रक्रिया चल रही है। उनके द्वारा मांगा गया अतिरिक्त आंकड़ा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है। इस मामले में अंतरिम/अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

- पंजाब राज्य की रिपोर्ट: मामले की जांच एस.एस.पी. होशियारपुर के अधीन हो रही

है।

- बिहार राज्य की रिपोर्ट: राज्य ने तथाकथित मामलों में पूछताछ और जांच के लिए 9 संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों को अनुदेश दिए हैं। गया और सहरसा जिलों में एफआईआर दर्ज की गई है।

- झारखंड राज्य की रिपोर्ट: मामला राज्य की भ्रष्टाचार–रोधी ब्यूरो(एसीबी) को सौंपा गया है। इस मामले में अंतरिम/अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

इसके अतिरिक्त, डीबीटी मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय और इलैट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को भी इन सिफारिशों से अवगत करा दिया गया है और इन उपायों के सख्ती, से कार्यान्वयन के लिए डीबीटी मिशन द्वारा एनएसपी-एनआईसी को आवश्याक निदेश जारी किए गए हैं। डीबीटी मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा एनएसपी पोर्टल के माध्यम से अपनी योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए कुछ सामान्य अनुदेश/दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

यह भी उल्लेख किया जाता है कि चूंकि एनआईसी पोर्टल का रख-रखाव करता है और यह डीबीटी मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। अत: समिति की सिफारिशों उपयुक्त कार्रवाई के लिए इलैक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ-साथ डीबीटी मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजी जाएगी।

1.10 समिति ने अपनी पूर्व सिफारिश में कई राज्यों से सूचित की जा रही छात्रवृत्तियों के फर्जी लाभार्थियों के मामलों पर चिंता व्यक्त की थी और तदनुसार ठोस सुझाव दिए थे ताकि ऐसे उदाहरणों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए वर्तमान प्रणाली को और मजबूत किया जा सके। समिति महसूस करती है कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 **के दौरान मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न कार्रवाइयों/पहलों और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) –एनआईसी, डाटा एजेंसियों के लिए जारी विभिन्न निवारक उपायों के साथ-साथ संस्थान नोडल**

अधिकारी/जिला नोडल अधिकारी/राज्य नोडल अधिकारी के लिए उठाए गए कदम सही दिशा में हैं और एक बार पूरा होने के बाद इन्हें व्यवस्था की खामियों को दूर करना चाहिए । तथापि, समिति कुछ राज्यों अर्थात असम, पंजाब, बिहार और झारखंड में छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत फर्जी लाभार्थियों को दी जा रही निधियों/ में कथित धांधली के बारे में सूचित किए जा रहे मामलों में की जा रही जांच में प्रगति की धीमी गति से अप्रसन्न है, जहां जांच/पूछताछ चल रही है और अंतरिम/अंतिम रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है । इसलिए, समिति मंत्रालय से इन राज्यों के साथ सख्ती से आगे कार्यवाही करने का आग्रह करती है ताकि वास्तविक छात्रों को परेशानी न हो। समिति यह नोट कर अप्रसन्न है कि कुछ लाभार्थी छात्रों के बैंक खातों को निष्क्रिय करने के मुद्दे पर मंत्रालय ने चुप्पी साध रखी है। इसलिए वे इस बात को दोहराती है कि मंत्रालय इस मुद्दे को सुलझाए ताकि नियमित लेन-देन के अभाव में छात्रवृत्ति लाभार्थियों के बैंक खाते बंद न हों और खाते निष्क्रिय/बंद होने के कारण छात्रवृत्ति का पैसा वापस न जाए।

ग. **नई मंजिल**

सिफारिश (**क्रम संख्या 4**, **पैरा** 5.7)

1.11 समिति ने अपने बाईस्वें प्रतिवेदन में निम्नानुसार सिफारिश की थी:-

"समिति ने पाया कि नई मंजिल योजना का उद्देश्य 17 से 35 वर्ष की आयु वर्ग की छात्राओं सहित अल्पसंख्यक युवाओं को लाभान्वित करना है, जिनके पास स्कूल छोड़ने का औपचारिक प्रमाण-पत्र नहीं है, जो स्कूल छोड़ने वालों की श्रेणी में हैं या मदरसों सहित सामुदायिक शिक्षा पहलों में शिक्षित हैं, जो न केवल शिक्षा

और कौशल प्रमाणित हैं, बल्कि नौकरियों में भी हैं। समिति यह जानकर निराश है कि विश्व बैंक से सहायता के बावजूद, योजना मुख्य रूप से लाभार्थियों के आस-पास नौकरी के अवसरों की अनुपलब्धता के कारण पिछड़ रही है, खासकर उन लड़कियों के लिए जो बाहर नौकरी करने के इच्छुक नहीं हैं। यह निराशाजनक है कि नामांकित 98311 व्यक्तियों में से केवल 26312 व्यक्तियों को ही रोजगार मिला है। इसलिए, समिति चाहती है कि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऑनलाइन काम शामिल हो, जो घर से ही किया जा सकता है, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए। नई मंजिल योजना को लोकप्रिय बनाने के प्रयास स्थानीय निकायों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किए जा सकते हैं ताकि समुदायों को अपने युवाओं को शिक्षा/कौशल प्रशिक्षण के लिए भेजने के लाभों के बारे में समझा जा सके। प्रभावी निगरानी और लेखा परीक्षा आगे भी विश्वास जगाएगी।"

1.12 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई के उत्तर में निम्नानुसार बताया**:-**

i. "मंत्रालय ने रोजगार बढ़ाने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के क्षमता-निर्माण के लिए अपना तथा सीएसआर बॉक्स नामक दो रोजगार बढ़ाने वाले स्टार्टअप के साथ करार बनाया था।
ii. पीआईए को निर्देश जारी किए गए हैं कि माननीय सांसदों, विधायकों, स्थानीय अधिकारियों, मीडिया और प्रभावशाली व्यक्तियों को आमंत्रित करके प्रशिक्षुओं को दीक्षांत समारोह में प्रमाण पत्र प्रदान करने जैसी घटनाओं को उजागर करके माननीय समिति की सिफारिश के अनुसरण में योजना को लोकप्रिय बनाएं।
iii. आउटपुट और हस्तक्षेप के परिणामों की पहुंच की दक्षता बढ़ाने के लिए एक मेंटरशिप मॉडल को तैयार किया गया है, जिसमें पीएमयू के सदस्यों को शामिल किया गया है ताकि वह पूरी तरह से कर्मठ रह सकें और पीआईओ को संभाले।"

1.13 **समिति ने मंत्रालय के उत्तर से नोट किया है कि उन्होंने प्लेसमेंट में सुधार के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों का निर्माण करने की क्षमता के लिए स्टार्टअप्स एपीएनए और सीएसआर बॉक्स को बढ़ावा देने वाले दो रोजगारों के साथ करार किया है । समिति ने आगे नोट किया कि एक मेंटरशिप मॉडल तैयार किया गया है जिसमें पीएमयू सदस्यों को बारीकी से कार्य करने के लिए संलग्न**

किया गया है और आउटपुट की दक्षता और हस्तक्षेपों के परिणामों तक पहुंचने के लिए पीआईए के साथ मिलकर कार्य करें । समिति ने हालांकि यह पाया कि उत्तर में प्लेसमेंट में सुधार के लिए पीआईए के साथ कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऑन लाइन कार्य को शामिल करने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है । इसलिए समिति कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऑन लाइन कार्य को शामिल करने की आवश्यकता पर फिर से जोर देना चाहेगी ताकि लाभार्थी विशेषकर उन लड़कियों को जो बाहर नौकरी लेने की इच्छुक नहीं हैं, उन्हें इस योजना के तहत उनके आसपास के क्षेत्र में नौकरी के अवसर मिल सकें । यह कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति के तहत सबसे अधिक प्रासंगिक है जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक हो जाती है । समिति यह भी चाहेगी कि मंत्रालय एपीएनए और सीएसआर बॉक्स की भूमिका की निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित करे और समिति को एपीएनए और सीएसआर बॉक्स को नई मंज़िल योजना में संबद्ध करने के बाद प्रदान की गई नौकरियों की संख्या के बारे में सूचित करे।

अध्याय – दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश (पैरा 5.7)

2.1 समिति ने पाया कि नई मंजिल योजना का उद्देश्य 17 से 35 वर्ष की आयु वर्ग की छात्राओं सहित अल्पसंख्यक युवाओं को लाभान्वित करना है, जिनके पास स्कूल छोड़ने का औपचारिक प्रमाण-पत्र नहीं है, जो स्कूल छोड़ने वालों की श्रेणी में हैं या मदरसों सहित सामुदायिक शिक्षा पहलों में शिक्षित हैं, जो न केवल शिक्षा और कौशल प्रमाणित हैं, बल्कि नौकरियों में भी हैं। समिति यह जानकर निराश है कि विश्व बैंक से सहायता के बावजूद, योजना मुख्य रूप से लाभार्थियों के आस-पास नौकरी के अवसरों की अनुपलब्धता के कारण पिछड़ रही है, खासकर उन लड़कियों के लिए जो बाहर नौकरी करने के इच्छुक नहीं हैं। यह निराशाजनक है कि नामांकित 98311 व्यक्तियों में से केवल 26312 व्यक्तियों को ही रोजगार मिला है। इसलिए, समिति चाहती है कि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऑनलाइन काम शामिल हो, जो घर से ही किया जा सकता है, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए। नई मंजिल योजना को लोकप्रिय बनाने के प्रयास स्थानीय निकायों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किए जा सकते हैं ताकि समुदायों को अपने युवाओं को शिक्षा/कौशल प्रशिक्षण के लिए भेजने के लाभों के बारे में समझा जा सके। प्रभावी निगरानी और लेखा परीक्षा आगे भी विश्वास जगाएगी।

सरकार का उत्तर

2.2 i. मंत्रालय ने रोजगार बढ़ाने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के क्षमता-निर्माण के लिए अपना तथा सीएसआर बॉक्स नामक दो रोजगार बढ़ाने वाले स्टार्टअप के साथ करार बनाया था।

ii. पीआईए को निर्देश जारी किए गए हैं कि माननीय सांसदों, विधायकों, स्थानीय अधिकारियों, मीडिया और प्रभावशाली व्यक्तियों को आमंत्रित करके प्रशिक्षुओं को दीक्षांत समारोह में प्रमाण पत्र प्रदान करने जैसी घटनाओं को उजागर करके माननीय समिति की सिफारिश के अनुसरण में योजना को लोकप्रिय बनाएं।

iv. आउटपुट और हस्तक्षेप के परिणामों की पहुंच की दक्षता बढ़ाने के लिए एक मेंटरशिप मॉडल को तैयार किया गया है, जिसमें पीएमयू के सदस्यों को शामिल किया गया है ताकि वह पूरी तरह से कर्मठ रह सकें और पीआईओ को संभाले।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का.ज्ञा. सं. जी20014/2/2021-बजट, दिनांक 01 जून, 2021)

समिति की टिप्पणियां

(**कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-**1 **का पैरा संख्या** 1.13 **देखें**)

सिफारिश (पैरा 6.12)

2.3 समिति ने नोट किया कि 'सीखो और कमाओ योजना' पर वास्तविक व्यय पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटन की तुलना में काफी कम था। इसके अलावा मंत्रालय के पास उसी अवधि के एसएके पोर्टल पर प्रशिक्षण के बाद प्लेसमेंट की संख्या का डेटा नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तीन साल की आवश्यकता होती है। समिति महसूस करती है कि आधुनिक समय में जहां बाजार का रुझान बहुत गतिशील है, अल्पसंख्यक युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार देने के लिए तीन साल की समयावधि बहुत लंबी है। इसलिए, मंत्रालय को प्रशिक्षण अवधि को कम करने और निजी क्षेत्र/ स्थानीय उद्यमियों आदि में भी युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार दिलाने के लिए पीआईए के परामर्श से कौशल कार्यक्रमों के पुनर्गठन पर विचार करना चाहिए ताकि अल्पसंख्यक युवाओं के लिए योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। समिति ने पाया कि एमईएस से एनएसक्यूएफ में बदलने के तौर-तरीके कई पीआईए के लिए एक झटका साबित हुए हैं, जिन्होंने प्रक्रियाओं को बोझिल पाया है, इसलिए समिति को लगता है कि मंत्रालय को कोई भी तौर-तरीकों में कठोर बदलाव करने से पहले योजना के लाभार्थियों के बड़े हित पर विचार करना चाहिए क्योंकि यह संपूर्ण कौशल प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करता है। समिति दृढ़ता से महसूस करती है कि योजना को विभिन्न स्तरों पर सिंक्रनाइज़ करके इसे सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इसलिए समिति योजना की खामियों की पहचान करने और बजटीय आवंटन का पूरी तरह से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए योजना के प्रभाव और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक मूल्यांकन अध्ययन/सामाजिक लेखा परीक्षा की सिफारिश करना चाहती है।

सरकार का उत्तर

2.4 i. भुगतानों में विलंब मार्च, 2020 के बाद से कोविड महामारी की स्थिति और प्रणालीगत मुद्दों के कारण थे, जिन पर संज्ञान लिया गया है और केंद्रों का निरीक्षण, प्रशिक्षुओं के यादृच्छिक नमूने लेने और फिर मामलों की योग्यता के आधार पर बकाया दूर करने के लिए एक तंत्र तैयार किया गया है। इसके अलावा कोविड की स्थिति के कारण प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था और मार्च, 2020 से आकलन नहीं किया गया था।

ii. मंत्रालय पहले से ही इस पर काम कर रहा है और उसने मई, 2021 में एमएसडी को लिखा है कि मेडिकल जॉब की भूमिकाओं में एक लाख सहित तीन लाख से अधिक प्रशिक्षुओं के साथ लंबित मामलों के लिए ऑनलाइन आकलन करने की अनुमति दी जाए जिसे तुरंत कोविड योद्धाओं के रूप में तैनात किया जा सकता है।

iii. मंत्रालय भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने के लिए रोजगार योग्य मानव संसाधन बनाने में प्रतिबद्ध है, एनएसक्यूएफ कुशलता देने के सहमत और अनुशासित मानक है-मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन के दौरान सूचीबद्ध करने, निगरानी करने और हैंडहोल्डिंग में अतिरिक्त सावधानी बरतेगा।

iv. इसके अलावा एमईएस से एनएसक्यूएफ में स्थानांतरण भारत सरकार द्वारा लिया गया एक नीतिगत निर्णय है और भारत सरकार की सभी कुशल योजनाओं को सामान्य मापदंडों द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना होगा और एनएसक्यूएफ के अनुरूप होने चाहिए हालांकि समिति की टिप्पणियों को उचित कार्यवाही के लिए कौशल विकास मंत्रालय को सूचित किया जा रहा है।

v. मंत्रालय एमएंडई आजीविका, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संचार, एमआईएस, वित्त और आईटी के क्षेत्र में विशेषज्ञों के साथ एक पीएमयू की तैनाती कर रहा है जिसे मंत्रालय के भीतर रखा जा सकता है। योजना के कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए पीआईए यह को संबल दे सकता है।

vi. योजना का तृतीय पक्ष मूल्यांकन एमडीआई गुड़गांव द्वारा किया गया है। प्रभाव और मूल्यांकन अध्ययन की सिफारिशों के आधार पर योजना में सुधार की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। समिति की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए, लाभार्थियों से सीधे फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। प्लेसमेंट में सुधार के लिए समस्या क्षेत्रों और सुधारात्मक उपायों की पहचान करने के लिए हित-धारक परामर्श भी लिए जा रहे हैं।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का.ज्ञा. सं. जी20014/2/2021-बजट, दिनांक 01 जून, 2021)

अध्याय – तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

सिफारिश (**पैरा** 4.11)

3.1 पीएमजेवीके राष्ट्रीय विकास एजेंडा के अधीन होने के नाते एक महत्वपूर्ण योजना है जहां अल्पसंख्यक क्षेत्रों के लिए बुनियादी अवसंरचना/सुविधाएं प्रदान करने की परियोजनाएं जैसे कि शौचालय, आंगनवाड़ी केंद्र, पेयजल/हैंडपंप, क्लास रूम आदि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त की जाती है और फिर संबंधित मंत्रालयों की टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में अधिकार प्राप्त समिति द्वारा स्वीकृत की जाती हैं। समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि वर्ष 2021-22 के दौरान पीएमजीवीके के अधीन मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त कई प्रस्तावों पर विचार करने में सक्षम न हो क्योंकि 2020-21 में आरई चरण पर बजट आवंटन 1600 करोड़ रुपए से घटाकर 971.38 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 1113 करोड़ रुपए के केंद्रीय हिस्से वाले कई प्रस्तावों पर मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अभी विचार किया जाना है। समिति इस तथ्य से भी परेशान है कि मार्च 2019 तक जारी की गई 3610.82 करोड़ रुपए की चौंका देने वाली राशि के लिए उपयोग प्रमाण पत्र लंबित हैं और कुछ राज्यों ने परियोजनाओं को छोड़ देने का प्रस्ताव किया है जिसमें 275.77 करोड़ रुपए निहित हैं। समिति का यह निष्कर्ष है कि मंत्रालय इस महत्वाकांक्षी योजना के भारी उत्तरदायित्व को उठाने में सक्षम नहीं रहा है। जबकि मंत्रालय अंतराल को भरने के लिए अगले वित्त वर्ष अर्थात 2021-22 में आरई चरण पर अधिक निधियों के लिए अनुरोध करेगा, वे वर्ष 2021-22 के लिए 2185 करोड़ रुपए के परिव्यय की कथित रूप से मांग भी कर रहे हैं। समिति महसूस करती है कि उपयोग प्रमाण पत्रों के

लिए बदले हुए प्ररूप के अलावा मंत्रालय को प्रक्रियात्मक पहलुओं विशेषकर, इसी प्रकार के मंत्रालयों से परियोजना प्रस्तावों पर टिप्पणी मांगने के बारे में तेजी लाने के लिए तरीके ढूंढने चाहिए क्योंकि यह एक काफी समय लगने वाली प्रक्रिया हो सकती है। कुल मिलाकर, प्रस्तावों पर ट्रैक रखने के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित किए जाने की जरूरत है ताकि उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने में या परियोजनाओं पर समय से विचार करने और स्वीकृति प्रदान करने में कोई विलंब ना हो।

सरकार का उत्तर

3.2 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2020–21 के दौरान प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत अरूणाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया और 1698.40 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को जिनमें 1231.92 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा भी शामिल है, मंजूरी दी। 2020–21 में स्वीकृत परियोजनाओं के लिए और पहले स्वीकृत परियोजनाओं के लिए दूसरी और तीसरी किस्तों की ओर केंद्रीय हिस्से के रूप में 2020–21 में 1091.93 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इसके अलावा, 2020–21 में स्वीकृत परियोजनाओं के लिए केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त के रूप में 2021–22 में 125.15 करोड़ रुपए जारी होने वाले हैं। तमिलानाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के राज्यों जहां विधानसभा चुनाव घोषित किए गए थे और मॉडल आचरण चलन में आ गया था, से फरवरी–मार्च 2021 में प्राप्त प्रस्तावों को छोड़कर सभी राज्यों से पीएमजेवीके के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर मंत्रालय द्वारा विचार किया गया था। इन तीन राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर चालू वित्त वर्ष 2021–22 में विचार किया जाएगा।

लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि पीएमजेवीके एक बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम है जिसमें स्वीकृत परियोजनाओं के प्रकार में सिविल भवन जैसे स्कूल भवन, कॉलेज भवन, आईटीआई, पॉलीटेक्निक, सामान्य सेवा केंद्र, अस्पताल, स्कूल केंद्र, खेल स्टेडियम आदि शामिल हैं। इन परियोजनाओं के निर्माण/पूरा होने में लगने वाला समय प्रत्येक परियोजना में भवन के आकार, अन्य संबंधित राज्य विभागों की मंजूरी, भूमि की स्थलाकृति, धन की राज्य हिस्सेदारी जारी करने, निविदा/बोली प्रक्रिया की संख्या आदि के आधार पर अलग–

अलग हो सकता है। आमतौर पर, परियोजनाओं का निर्माण पूरा होने में लगभग 2–3 साल का समय लगता है। परियोजनाओं के लिए धन का केंद्रीय हिस्सा 2/3 किस्तों में जारी किया जाता है। पहली किस्त के 100% उपयोग किए जाने के बाद ही दूसरी किस्त जारी की जाती है। इस तरह, दूसरी किस्त के 100% उपयोग किए जाने के बाद ही तीसरी किस्त जारी की जाती है। इसलिए निर्माण की अवधि को ध्यान में रखते हुए, किसी भी समय, उपयोग की प्रक्रिया में धन होगा और उपयोगिता प्रमाण–पत्र लंबित दिखाया जाएगा। हालांकि यह प्रस्तुत किया जाता है कि मंत्रालय उपयोगिता प्रमाण–पत्र के परिसमापन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ लगातार संपर्क करता है। इस तरह के अनुवर्ती संपर्क को अधिकार–प्राप्त समिति/स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा राज्य अधिकारियों के साथ आयोजित बैठकें, पत्राचार, चर्चा, मंत्रालय के अधिकरियों द्वारा यात्रा आदि के माध्यम से किया जाता है।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र की लंबित अवस्था को सुव्यवस्थित और कम करने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय के परामर्श से यह तय किया गया था कि जिन राज्यों में बड़ी मात्रा में उपयोगिता प्रमाण–पत्र लंबित है उन राज्यों में ऐसी परियोजनाओं की पहचान करने का अनुरोध किया जाए जो लागत में वृद्धि या भूमि की मुकदमेबाजी जैसे अन्य कारणों से गैर–व्यवहार्य हो गई हैं और ऐसी परियोजनाओं को छोड़ने का प्रस्ताव किया जाए। राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया था कि मंत्रालय द्वारा विचार किए जाने हेतु छोड़ दी गई परियोजनाओं के बदले में वैकल्पिक परियोजनाओं का प्रस्ताव रखें। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के राज्यों द्वारा छोड़े जाने हेतु परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण मंत्रालय द्वारा इस तरह के प्रयास का परिणाम है। यह लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र के परिसमापन में और साथ ही नई परियोजनाओं के निर्माण के लिए अवरूद्ध धन का उपयोग करने में मदद करेगा। जैसा कि समिति ने पाया वैसे उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रारूप का पुनरीक्षण केवल धन की बेहत्तर निगरानी के लिए, विशेष रूप से राज्य के हिस्से का धन जारी करने और उपयोग लाने की दिशा में एक कदम है। संबंधित मंत्रालयों से टिप्पणियों की प्राप्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित आधार पर मामले पर निरंतर कार्य करता है और अधिकार–प्राप्त समिति की बैठकों के दौरान संबंधित मंत्रालय को अपनी टिप्पणी देने के लिए आमंत्रित करता है। संबंधित मंत्रालयों से टिप्पणियों के कारण परियोजनाओं पर विचार करने में देरी नहीं हुई है।

जहां तक परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए एक उपयुक्त तंत्र के विकास का संबंध है, पीएमजेवीके योजना के तहत एक मजबूत तंत्र मौजूद है। ब्लॉक–स्तरीय समिति, जिला–स्तरीय समिति और राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से निगरानी की सामान्य श्रृंखला के अलावा मंत्रालय निरंतर स्वीकृत परियोजनाओं के निर्माण और कमीशनिंग की प्रगति की समीक्षा करता है। ऑनलाइन निगरानी मॉडयूल और सभी स्वीकृत परियोजनाओं की जियो–टैगिंग को शामिल करके निगरानी तंत्र को और मजबूत किया है।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का.ज्ञा. सं. जी20014/2/2021-बजट, दिनांक 01 जून, 2021)

अध्याय – चार

टिप्पणियां /सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया गया है और जिन्हें दोहराने की आवश्यकता है

-शून्य-

अध्याय – पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं

सिफारिश (पैरा 2.10)

5.1 समिति यह जानकर हैरान है कि मंत्रालय छात्रवृत्ति घटक में व्यय की धीमी गति के कारण 2020-21 के दौरान अपने बजटीय आवंटन को आरई चरण में 5029.00 करोड़ रुपए में से 1000 करोड़ रुपए से अधिक कम करके 4005 करोड़ रुपए करने के बावजूद पूरा खर्च करने में सक्षम नहीं रहा है। ऐसा कथित रूप से इसलिए हुआ कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुन:-सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके। यद्यपि समिति को सूचित किया गया था कि उक्त कटौती छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए नहीं थी बल्कि मंत्रालय की अन्य योजनाओं के लिए थी, फिर भी समिति महसूस करती है कि इसी प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे मंत्रालयों की तुलना में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आवंटित निधियों के उपयोग में काफी पीछे रहा है। इसके लिए निश्चित रूप से कुछ आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। जबकि मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के दौरान वे अपना आवंटन पूरा उपयोग करने में सक्षम होंगे, समिति इसके बारे में उलझन में है क्योंकि पिछले वर्षों के रुझान से यह पता चलता है कि मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के सिवाय मंत्रालय की अन्य 2 योजनाओं के लिए वर्ष के अंत में निधियां उपयोग करना बची रही हैं। समिति यह समझने में असमर्थ है कि मंत्रालय इन योजनाओं के उद्देश्यों को कैसे पूरा करेगा बशर्ते कि सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी पुनः-सत्यापन की प्रक्रिया को बहुत ही कम समय में पूरा नहीं कर लेते हैं, जो कि, पूरी संभावना है कि, ऐसा नहीं होने वाला है। जबकि मंत्रालय ने पिछले वर्षों में अपने लक्ष्य से अधिक लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के बारे में सूचना प्रस्तुत की है लेकिन वर्ष 2020-21 के लिए सूचना शून्य है। अतः समिति कृत कार्रवाई स्तर पर 2020-21 में स्थिति से अवगत होना चाहेगी। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सभी योजनाओं की अगले 5 वर्षों में समीक्षा किए जाने की संभावना है, अतः, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय की वर्ष 2021-22 के लिए मासिक/तिमाही व्यय योजना का कड़ाई से निष्पादन भी किया जाए ताकि वे अपनी योजनाओं का औचित्य सिद्ध करने में समर्थ हो सके और आरई स्तर पर भी निधियों की सही आवश्यकता प्रस्तुत कर सकें।

सरकार का उत्तर

5.2 बजट अनुमान 2020-21 को संशोधित अनुमान 2020-21 चरण पर 5029 करोड़ रुपए से घटा कर 4005 करोड़ रुपए कर दिया गया था। संयुक्त प्रयासों और सर्वोच्च स्तर पर निरंतर निगरानी से मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अधीन 2020-21 के दौरान 3998.57 करोड़ रुपए की राशि अर्थात् 4005 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान का 99.84**%** बुक किया गया।

2020-21 में 3 छात्रवृत्ति योजनाओं अर्थात् मैट्रिक-पूर्व**,** मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए मंत्रालय ने कुल 2234.74 करोड़ रुपए अर्थात् आबंटित बजट 2265.00 करोड़ रुपए का 98.66% व्यय बुक किया है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए योजना-वार व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

योजना	**बीई (करोड़ रू. में**	**आरई (करोड़ रू. में)**	**व्यय (करोड़ रू. मे**
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना	1330.00	1330.00	1325.55
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	535.00	535.00	512.81
मेरिट सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योज	400.00	400.00	396.34
कुल	**2265.00**	**2265.00**	**2234.70**

यह भी उल्लेख किया जाता है कि तीनों छात्रवृत्तियों में से प्रत्येक में नई श्रेणी के अधीन छात्रवृत्तियों की संख्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और समुदाय-वार कोटे के अनुसार निश्चित होती है। हालांकि, नवीकरण छात्रवृत्तियों के लिए कोई कोटा नहीं होता है और सभी पात्र लाभार्थी उनके आवेदनों की जांच के अध्ययनधीन नवीकरण छात्रवृत्ति के लिए हकदार हैं। जहां तक वास्तविक लक्ष्य का संबंध है, कोविड महामारी से उत्पन्न रूकावटों के बावजूद 'नई' श्रेणी के अधीन लक्ष्य काफी हद तक प्राप्त कर लिए गए हैं और इन योजनाओं की 'नवीकरण' श्रेणी के अधीन अधिकतम पात्र और वास्तविक आवेदकों को भी कवर किया गया है। शेष आवेदक जिनके आवेदनों की जांच की जा

चुकी है और जो 'नई' श्रेणी के अधीन मेरिट सूची में हैं लेकिन तकनीकी कारणों जैसे कि भुगतान विफलता, बैंक वैधीकरण में देरी या राज्यों द्वारा भुगतान फाइलों पर डिजीटल रूप से हस्ताक्षर करने में देरी के कारण से भुगतान नहीं किया जा सका, उन्हें सुधार/राज्यों द्वारा भुगतान फाइलों पर हस्ताक्षर के बाद अगले शैक्षिक वर्ष अर्थात् 2021-22 की प्रथम तिमाही में भुगतान कर दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2020-21 में कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या का योजना-वार विवरण निम्नानुसार है:-

योजना	**लक्ष्य (नई)**	***कुल स्वीकृत छात्रवृत्तियां (31.03.2021 के अनुसार)**
मैट्रिक-पूर्व	3000004	5046292
मैट्रिकोत्तर	499999	648133
मेरिट-सह-साधन	60000	117614
कुल	**3560000**	**5812039**

* नवीकरण शामिल हैं।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का.ज्ञा. सं. जी20014/2/2021-बजट, दिनांक 01 जून, 2021)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-1 का पैरा संख्या 2.10 देखें)

सिफारिश (पैरा 3.11)

5.3 केंद्रीय क्षेत्र की 3 छात्रवृत्ति योजनाएं नामतः मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मैट्रिक-सह-साधन, छह केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। समिति छह राज्यों में निधियों के कथित दुरुपयोग/वंचित अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के अधीन जाली बच्चों को दी जा रही निधियों के बारे में सूचित मामलों से काफी परेशान है, जो जांच/पूछताछ के अधीन हैं। एक राज्य में पूछताछ के बाद यह धोखाधड़ी कतिपय निहित स्वार्थों द्वारा पासवर्ड लीक किए जाने के साथ-साथ अन्य कमियों के कारण हुई बताई गई है। अल्पसंख्यकों में माता-पिता और बच्चों की निरक्षरता और जागरूकता

की कमी का लाभ उठाते हुए ऐसे तत्वों द्वारा शोषण भी किया जाता है। जबकि मंत्रालय के प्रतिनिधि सदैव यह दावा करते हैं कि सभी लेन-देन/सत्यापन ऑनलाइन किए जाने, एक समर्पित पोर्टल, डीबीटी माध्यम से नकदी अंतरण और इसी प्रकार के उपायों के कारण जिनकी इस समय निश्चित रूप से जरूरत है, सिस्टम विफलता रहित है, समिति के लिए यह देखना चिंताजनक है कि भ्रष्टाचार के ऐसे मामले हुए हैं। तथापि, थोड़ा ही हो, इसने वास्तविक बच्चों को सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं से वंचित किया होगा और कुछ बच्चों ने इस कारण स्कूल फीस/अन्य खर्चे वहन करने में असमर्थ होने पर स्कूल से ड्रॉप आउट किया हो। अपने साक्ष्य के दौरान मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने उनके विचाराधीन कुछ और सुरक्षा उपायों के बारे में समिति को सूचित किया, उदाहरण के तौर पर, छात्रवृत्ति-धारी छात्रों की फाइलों को 5 वर्ष के लिए संरक्षित रखना, एमईआईटीवाई के सहयोग से एक आधार वॉल्ट सृजित करना, अध्यापक द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रिपोर्ट पर प्रिंसिपल के हस्ताक्षर की आवश्यकता, कम से कम 2% वास्तविक सत्यापन, स्कूली शिक्षा विभाग की सहायता से छात्र डाटा बैंक का सृजन आदि। जबकि समिति चाहती है कि मंत्रालय सिस्टम में पहचानी गई सभी कमियों को रोके, डाटा और पासवर्ड की निजता को सुदृढ़ करे और सभी मैनुअल हस्तक्षेप कम करें, चाहे यह स्कूल कार्मिक हो, बैंकिंग मध्यस्थ हो, एनजीओ या अप्राधिकृत व्यक्ति हों, समिति का दृढ़ मत है कि मंत्रालय को राज्य सरकारों को यह परामर्श देना चाहिए कि वे लाभार्थी अल्पसंख्यक छात्रों की नमूना संख्या तक सीधे पहुंचने का प्रयास करें ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्हें सरकारी छात्रवृत्तियों के बहाने से ठगा नहीं जा रहा है और यह कि पोर्टल में उनके नाम के सामने यथा अनुमोदित अवधि के लिए हकदार छात्रवृत्ति की पूरी राशि डीबीटी के माध्यम से उन्हें वास्तव में प्राप्त हो रही है। साथ ही, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों के खाते कोई गतिविधि न होने के कारण बंद न हों क्योंकि अल्पसंख्यक छात्र नियमित रूप से लेन-देन नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ मूल्यांकन अध्ययनों ने यह दर्शाया है कि खाते निष्क्रिय/बंद होने के कारण छात्रवृत्ति की राशि वापस आ जाती है। समिति आश्वस्त है कि ऐसे उपाय बड़े सुधार ला सकते हैं और इसलिए सिफारिश करती है कि इस पहलू पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब, चूंकि कोविड-19 टीकाकरण में गति आ रही है, समिति राय देती है कि पूरी क्षमता के साथ स्कूलों के पुनः खुलने और छात्रवृत्तियों के संवितरण के लिए परिणामी औपचारिकताओं और सत्यापनों आदि के काम में चालू वित्त वर्ष के बाद वाले भाग में तेजी आएगी। समिति दोहराती है कि स्कूलों, बैंकों, एनजीओ, वीओ आदि में अनैतिक तत्व, जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रक्रियाओं को बिगाड़ने के रास्ते ढूंढ लेते हैं, द्वारा धोखाधड़ी की गतिविधि अवश्य बंद की जाए। वास्तव में, समिति को ज्ञात हुआ है कि सरकार द्वारा हाल ही में उनकी कार्यप्रणाली में विभिन्न कमियों के कारण लगभग

8000 एनजीओ को सूची से बाहर किया गया है। अतः समिति दोहराती है कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एनआईसी के परामर्श से पासवर्ड/कोड में किसी छेड़छाड़/धोखाधड़ी को पकड़ने के लिए छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन पोर्टल में काफी सुरक्षा उपाय/टूल्स होने चाहिए और कदाचार का दोषी पाए गए व्यक्तियों/संगठनों को तत्काल हटा देना चाहिए। समिति चाहती है कि उसे मंत्रालय के प्रयासों में प्रगति के साथ-साथ इस मामले में कुछ राज्यों में इस समय चल रही जांच के परिणाम से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

5.4 मंत्रालय ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न कार्य/पहले की है और विभिन्न निवारक उपाय जारी किए हैं जिन्हें राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल एनआईसी के साथ-साथ संस्थान के नोडल अधिकारियों/जिला नोडल अधिकारियों और राज्य नोडल अधिकारियों द्वारा उठाया जाना है। जैसा कि समिति ने चाहा है मंत्रालय द्वारा इस मामले पर किए गए विभिन्न कार्यों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

(क) मंत्रालय द्वारा मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास भेजा गया और उनके द्वारा इस विषय पर 11 नवंबर 2020 को एक प्राथमिक जांच दर्ज की गई है। जांच रिपोर्ट की इस मंत्रालय में प्रतीक्षा है।

(ख) एनएसपी एनआईसी के साथ-साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई कार्रवाइयों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है जो इस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कुछ दिशानिर्देशों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन का उल्लेख करती हैं:

- 12.01.2021 तक सत्यापित सभी आवेदन पुन: सत्यापन के लिए वापस कर दिए गए और ऐसे सभी आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर सफलतापूर्वक पुन: सत्यापन किया गया है।
- एनएसपी ने यू-डीआईएसई/एआईएसएचई से पिछले वर्ष की सूचना और आंकड़े प्रदान किए है जो संस्था नोडल अधिकारी (आईएनओ) और जिला/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नोडल अधिकारियों (डीएनओ/ एनएनओ) द्वारा सत्यापन के लिए संदर्भ सामग्री

के रूप में काम आएंगे।

- आवेदकों के नाम के अतिरिक्त जन्म तिथि और लिंग वैधीकरण आधार जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण के माध्यम से किया गया है।
- सभी डीएनओ और 90% से अधिक आईएनओ का पुन: सत्यापन किया गया है।
- संदेहजनक आवेदनों की एनएसपी द्वारा लाल फ्लैग के साथ पहचान की गई ताकि पुन:सत्यापन सुनिश्चित एवं सुविधाजनक किया जा सके।
- मंत्रालय वित्त वर्ष 2020-21 में मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अधीन आधार प्रमाणित आवेदनों की सुविधा के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) और आंकड़ा विश्लेषण उत्कृष्टता केंद्र (सीईडीए) की सेवाएं लेने का पता लगा रहा है।

(ग) सत्यापन प्रक्रिया को कड़ा करने के लिए मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का निम्नलिखित अनुदेश जारी किए गए हैं:

- आईएनओ जिला स्तर पर और अन्य प्राधिकारियों द्वारा किसी भी समय निरीक्षण के लिए आवेदनों और अन्य सहायक दस्तावेजों की कक्षा-वार और शैक्षिक वर्ष-वार हार्ड फाइल बनाकर रखेंगे।
- आईएनओ को स्कूल/संस्थान का कर्मचारी होना चाहिए।
- एसएनओ/ईएनओ संस्थानों और आवेदकों के साथ-साथ सत्याएपित आवेदनों के 2% का अनिवार्य वास्तविक सत्यापन करें और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
- संस्थान का प्रमुख आईएनओ द्वारा सत्यापित आवेदनों की सूची को प्रमाणित करे और एल 2 सत्यापन के लिए इसे डीएनओ/एसएनओ को भेजे। एनएसपी ने संस्थान प्रमुख के लिए एक अलग लॉगिन बनाया है।
- स्कूॉलों/संस्थानों को लाभार्थियों की सूची नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होगी और अंतिम राशि के साथ लाभार्थियों की सूची स्कूल प्रबंधन समिति के समक्ष भी प्रस्तुत करनी होगी और छात्र के हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे।

(घ) पांच राज्यों, जहां जांच चल रही है, द्वारा भेजी गई रिपोर्टों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

- छत्तीसगढ़ राज्य की रिपोर्ट**:** रिपोर्ट कहती है कि यह पाया गया है कि सभी कथित लाभार्थी वास्तविक है और आश्वस्त करती है कि कोई धोखाधड़ी की घटना नहीं

हुई है।

- असम राज्य की रिपोर्ट: सीआईडी के साथ जांच प्रक्रिया चल रही है। उनके द्वारा मांगा गया अतिरिक्त आंकड़ा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है। इस मामले में अंतरिम/अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

- पंजाब राज्य की रिपोर्ट: मामले की जांच एस.एस.पी. होशियारपुर के अधीन हो रही है।

- बिहार राज्य की रिपोर्ट: राज्य ने तथाकथित मामलों में पूछताछ और जांच के लिए 9 संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों को अनुदेश दिए हैं। गया और सहरसा जिलों में एफआईआर दर्ज की गई है।

- झारखंड राज्य की रिपोर्ट: मामला राज्य की भ्रष्टाचार–रोधी ब्यूरो(एसीबी) को सौंपा गया है। इस मामले में अंतरिम/अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

इसके अतिरिक्त, डीबीटी मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय और इलैट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को भी इन सिफारिशों से अवगत करा दिया गया है और इन उपायों के सख्ती, से कार्यान्वयन के लिए डीबीटी मिशन द्वारा एनएसपी-एनआईसी को आवश्याक निदेश जारी किए गए हैं। डीबीटी मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा एनएसपी पोर्टल के माध्यम से अपनी योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए कुछ सामान्य अनुदेश/दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

यह भी उल्लेख किया जाता है कि चूंकि एनआईसी पोर्टल का रख-रखाव करता है और यह डीबीटी मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। अत: समिति की सिफारिशों उपयुक्त कार्रवाई के लिए इलैक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ-साथ डीबीटी मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजी जाएगी।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का.ज्ञा. सं. जी20014/2/2021-बजट, दिनांक 01 जून, 2021)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-1 का पैरा संख्या 3.11 देखें)

नई दिल्ली;
05 अगस्त, 2021
13 श्रावण, 1943 (शक)

रमा देवी,
सभापति,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता
संबंधी स्थायी समिति

परिशिष्ट

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदान मांगों (2021-22) पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के बाईस्वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण (सत्रहवीं लोकसभा)

	कुल	प्रतिशत

एक.	सिफारिशों की कुल संख्या	5	
दो.	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार लिया है (पैरा संख्या 5.7 और 6.12)	2	40%
तीन.	टिप्पणियां/सिफारिशें,सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति जिन पर आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती है (पैरा संख्या - 1)	1	20%
चार.	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया गया है और जिन्हें दोहराने की आवश्यकता है (पैरा संख्या – शून्य)	0	0%
पांच.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं (पैरा संख्या - 2.10 और 3.11)	2	40%